

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 20

क्रमांक:-भू.अ./20 /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मोहम्मद पिता वली मोहम्मद नेतावल  
प.ह. नेतावल मध्य के राजस्व ग्राम नेतावल मध्य में जमाबन्दी संवत् 2078-81  
की खाता संख्या 288 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम मोहम्मद हुसैन किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम मोहम्मद हुसैन का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Lehal  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/20<sup>25</sup>/815

दिनांक:-16/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का नेतावल मध्या

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136  
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री मोहम्मद हुसैन पिता वली मोहम्मद  
राजस्व ग्राम नेतावल मध्य प.ह. नेतावल मध्य की खाता संख्या 288 में  
जाति/नाम मोहम्मद हुसैन दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।  
अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री मोहम्मद हुसैन पिता वली मोहम्मद  
जाति/नाम मोहम्मद हुसैन एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. नेतावल मध्या राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ